IMMEDIATE

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT
(ALLOTMENT SECTION)

Vikram Sarabhai Bhavan,
2nd Floor, North Wing,
Anushaktinagar,
Mumbai-400 094.
Tel: 022-64197227/31/77/75
E-mail: allot@dcsem.gov.in
daeniwas_help@dcsem.gov.in

No. DCSEM/1/19/Allot-20201/2026-27/E-7719/८६९ 17th April 2026

CIRCULAR

Subject: Publication of Final Priority List for the Allotment Year 2026-2027 & Calling Complete Priority List Every month from AY 2026-2027 - reg.

In continuation of this Directorate's Circular No. DCSEM/1/19/Allot-20201/2026-27/7719/861 dated 06.04.2026; the Final Priority List for Allotment Year 2026-2027, for allotment of Government Residences at Anushaktinagar and City areas is being uploaded on DCSEM website www.dcsem.gov.in.

2. It may please be noted that after publication of Final Priority List for Allotment Year 2026-2027, no request for additions / alterations will be entertained during the currency of Allotment Year 2026-2027 except in the case of employees who are transferred to Mumbai from outstation units, and also due to any policy decisions of Department of Atomic Energy in this regard.

3. The allotment will commence in the month of April, 2026 and accordingly, online allotment schedule for the month of April, 2026 will be made available online by 24th April 2026 i.e. two working days prior to commencement of allotment schedule.

4. Meanwhile, Allotment Section, DCSEM along with DAE Niwas Developers, has been introducing a slew of measures for improvising process for allotment of departmental accommodation of DAE in Mumbai. It includes introduction of online allotment bidding process followed by issuance of digitally signed Allotment Order on submission of online acceptance form, saving considerable productive time of the employees.

5. By introducing data collection in JSON format by bridging between administration, employees and developers, Allotment Section, DCSEM has done away with submission of hardcopies of allotment application, making the whole process paperless in real sense. With this Allotment Section, DCSEM have moved more towards the philosophy of "Minimum Government, Maximum Governance" translating it into a streamlined, efficient administration.

6. Now, taking a step further, the Competent Authority in this Directorate, after consulting with representatives of Associations, has approved to introduce "Calling of Complete Priority List" from Allotment Year 2026-2027. The details of this feature are as follows:

(i) Allotment Status as Active or Allotted only.

From April 2026 onwards, for a particular type and location called in an allotment month, all employees with ACTIVE PRIORITY NOS. will be able to exercise their options for available flats. No active employee will be DROPPED from priority list except employees having less than six months to retirement or has resigned or deceased or has been called for change in same category in period of less than six months from occupation.

However, in case if an employee is allotted a flat at his/her turn and as per his/her choice, subsequently, cancels the allotment, his/her status as 'ALLOTTED' will be maintained till the end of that Allotment Year, barring him/her from exercising option in remaining month(s) of an ongoing Allotment Year. Therefore, hereafter, there will only be two kind of status for online Allotment i.e. either ACTIVE or ALLOTTED.

(ii) Change in Same category, Lower to higher category movement & Fresh allotment.

Until now, for change in same category, it is compulsory to opt only upto 50% of the total flats placed for allotment whereas for lower to higher category movement and fresh allotment in any category, it is compulsory to opt till last ready flat is available. Failure to adhere any of the above conditions will lead to DROPPING of that employee in that particular type for rest of Allotment Year.

From April 2026 onwards, with introduction of Complete Calling of Priority List, it will not be compulsory for any employee to exercise option for the flats available (except for compulsory movement from transit accommodations), giving equal chance as s/he will be called throughout Allotment Year till s/he gets flat allotted at his/her turn and as per his/her choice.

(iii) Compulsory movement from transit accommodation (in case of ready flats available).

As per point no. 11 of this Directorate Circular dated 18.03.2026, employees in occupation of Transit accommodation i.e. Efficiency (Nilgiri), Efficiency Plus – Akash series (for Scientific / Technical Officers), Indrayani, Bheema, Chandrabhaga (Scientific Assistants), Chenab (Para-Medical staff), Essential Service Quarters and Transit accommodations at Old Mandala, Head, Medical Division, BARC quota for Medical Transit, Employees Chummary are compulsorily required to exercise option for categorised accommodation, failing which, their existing allotment of transit accommodation shall stand cancelled.

As per the extant practice, if no flat choice is submitted by employee staying in transit accommodation, any one of the ready flat will be allotted to him/her through randomization.

(iv) Discontinuance of monthly Allotment Schedule publication.

Until now, considering the expected vacancy in a month, an allotment schedule giving details of active priority nos. was published in hardcopy on 15th of every month.

From April 2026 onwards, publication of Allotment schedule in hardcopy will be discontinued as all active priority nos. in a particular list will be considered to exercise

option. As per the extant practice in vogue, DAE Niwas portal will be opened for LAST THREE WORKING DAYS for employees to exercise their option for a particular type and location they have opted for. An online allotment schedule based on expected vacancy will be created in DAE Niwas TWO WORKING DAYS prior to the commencement of allotment schedule.

(v) Discontinuance of monthly coverage.

As there is no dropping of priority nos., there will not be any monthly coverage of allotment. All employees will be able to exercise their option as per their eligibility and choice of location submitted.

(vi) Discontinuance of recall under Limited Option & Non acceptance of Absent cases.

As per the Record of Discussion with representatives of associations on 21.04.1999, the concept of Limited Option was introduced to call (after 50% of total flats are allotted) such employees who have missed their regular call for allotment due to leave, transfer, deputation, EOL abroad etc.

By introducing complete calling of priority list, employees failing to exercise option in particular month owing to leave, official duty, transfer, deputation, EOL abroad etc. will continue to remain active for next allotment schedule. Hence, the concepts of Limited Option & Absent case have become redundant as all the employees will be either active or allotted.

(vii) Activation of change in same category on completion of six months.

Employees who have occupied a flat during Allotment Year 2025-2026 and have not completed six months in present occupation or employees who have been provisionally allotted a flat during previous allotment year & occupies the said flat during 2026-2027 can request for change.

Such requests for change in the same category can be made by e-mail / writing in the **same month of completion of 06 months of occupation** of the flat so allotted. Request received in subsequent months will not be entertained.

On receipt of such request, their priority nos. will be derived in their respective types and such employees can exercise their option for change in same category as per their priority nos.

Please note that ONLY ONE CHANGE will be allowed in respect of one type of residence allotted to the employee and No change is allowed in transit accommodation.

(viii) Inclusion of employees coming on Transfer/EOL/Deputation and allotment of flat as per their turn.

Vide this Directorate Circular dated 29.01.2013, details of officials coming on transfer were incorporated during the course of Allotment year and subsequent to their inclusion, if their priority stood covered (as per the latest coverage) were offered with Ready flats from the vacancy available.

With introduction of complete priority called, the employees name will be added two working days before commencement of monthly allotment schedule. No additions of transfer cases will be done during monthly allotment exercise period (last Three working days of option exercise and first two days of next month for result generation).

Hence, the employees coming on transfer can exercise their option as per their turn for allotment and no allotment will be made to Transfer/EOL/Deputation cases in offline allotment / limited option.

However, as per Rule VI (d) of Allotment of Government Residence (DAE), Mumbai, Rules, 1982 and subsequent orders issued by the Competent Authority in this Directorate, officers who surrendered the departmental accommodation allotted to them in Mumbai, following their transfer, in the public interest to out stations or an ineligible office or proceeding on leave including EOL, for taking up foreign assignment or for higher studies abroad, on their reposting to any units of DAE, Mumbai, will be allotted a flat in a type in which s/he has surrendered or at least one step below their entitlement, whichever is higher.

(ix) Recovery of one month licence fee as penalty.

At present, two types of penalties are being charged to employees.

(a) An employee staying in lower category gets dropped in higher category due to non-selection of ready flats are charged one month licence fee of higher category.

(b) An employee is allotted a flat as per his/her choice and subsequently s/he cancels the same, one month licence fee is recovered from him/her for that particular flat.

By calling complete priority list every month, there will not be any dropping of employees and hence, the penalty charged at point (a) above will be redundant. Instead, chances of getting all flats allotted will result into more revenue generation in the form of licence fee and HRA recovery.

However, the penalty of one month licence fee levied on cancellation of allotted flat will continue as per practice as flat remains vacant for rest of the month of cancellation.

7. Administrative Heads of all Mumbai based DAE units are requested to arrange for wide publicity of this Circular as well as for display of the same on the Notice Board(s).

8. This issues with the approval of Director, DCSEM.

Encl.: As above.

S. S. Gondane 17.04.2026

(Shankar S. Gondane)
Director (P&A) & Estate Officer
DCSEM

To,
Administrative Head of DAE Units in Mumbai.

d:\d drive\kedar\priority list 2026-2027\circulars\bilingual circular for publication of final priority list 2026-2027.doc

तत्काल

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
(आबंटन अनुभाग)

विक्रम साराभाई भवन,
द्वितीय तल, उत्तर स्कंध,
अणुशक्तिनगर, मुंबई-400 094
टेलि. : 022-64197227/77/75/31
ई-मेल : allot@dcsem.gov.in
daeniwas_help@dcsem.gov.in

सं. No. DCSEM/1/19/Allot-20201/2026-27/E-7719/869 17 अप्रैल 2026

परिपत्र

विषय : आबंटन वर्ष 2026-2027 के लिए अंतिम प्राथमिकता सूची का प्रकाशन और वर्ष 2026-2027 से प्रत्येक माह पूर्ण प्राथमिकता सूची को बुलाने के संबंध में।

इस निदेशालय के परिपत्र संख्या DCSEM/1/19/Allot-20201/2026-27/7719/861 दिनांक 06.04.2026 के क्रम में, अणुशक्तिनगर और शहरी क्षेत्रों में सरकारी आवासों के आबंटन के लिए आबंटन वर्ष 2026-2027 की अंतिम प्राथमिकता सूची निसेसंप्रनि की वेबसाइट www.dcsem.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

2. कृपया ध्यान दें कि आबंटन वर्ष 2026-2027 के लिए अंतिम प्राथमिकता सूची प्रकाशित होने के बाद, आबंटन वर्ष 2026-2027 की अवधि के दौरान बाहरी इकाइयों से मुंबई स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों के मामलों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के इस संबंध में किसी भी नीतिगत निर्णय के कारण होने वाले किसी परिवर्तन के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आबंटन अप्रैल 2026 में शुरू होगा और तदनुसार, अप्रैल 2026 के लिए ऑनलाइन आबंटन अनुसूची दिनांक 24 अप्रैल 2026 तक यानी आबंटन अनुसूची के प्रारंभ होने से दो कार्य दिवस पहले ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी।

4. इस बीच, निसेसंप्रनि के आबंटन अनुभाग ने डीएई निवास डेवलपर्स के साथ मिलकर मुंबई में पऊवि के विभागीय आवास के आबंटन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें ऑनलाइन आबंटन बोली प्रक्रिया की शुरुआत और ऑनलाइन स्वीकृति फॉर्म जमा करने पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आबंटन आदेश जारी करना शामिल है, जिससे कर्मचारियों का काफी उत्पादक समय बचता है।

5. प्रशासन, कर्मचारियों और डेवलपर्स के बीच समन्वय स्थापित करके JSON फॉर्मेट में डेटा संग्रह शुरू करने से, निसेसंप्रनि के आबंटन अनुभाग ने आबंटन आवेदन की हार्डकॉपी जमा करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है, जिससे पूरी प्रक्रिया सही मायने में कागज रहित हो गई है। इस के साथ आबंटन अनुभाग, निसेसंप्रनि ने "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के सिद्धांत की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासन स्थापित हुआ है।

6. अब, एक कदम और आगे बढ़ते हुए, इस निदेशालय के सक्षम प्राधिकारी ने संघों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद, आबंटन वर्ष 2026-2027 से "संपूर्ण प्राथमिकता सूची बुलाने" की व्यवस्था शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था का विवरण इस प्रकार है:

(i) आबंटन की स्थिति केवल सक्रिय या आबंटित होना।

अप्रैल 2026 से, आबंटन माह में चुने गए किसी विशेष प्रकार और स्थान के लिए, सभी सक्रिय प्राथमिकता क्रमांक वाले कर्मचारी उपलब्ध फ्लैटों के लिए अपना विकल्प चुन सकेंगे। सेवानिवृत्ति में छह महीने से कम समय शेष वाले या इस्तीफा दे चुके या मृत कर्मचारियों या कर्मचारी जिन्हें छह महीने से कम समय में उसी कैटेगरी में बदलाव के लिए बुलाया गया हो को छोड़कर , किसी भी सक्रिय कर्मचारी को प्राथमिकता सूची से नहीं हटाया जाएगा।

हालांकि, यदि किसी कर्मचारी को उसकी बारी पर और उसकी पसंद के अनुसार फ्लैट आबंटित किया जाता है, और बाद में वह आबंटन रद्द कर देता है, तो उसकी स्थिति उस आबंटन वर्ष के अंत तक 'आबंटित' बनी रहेगी, जिससे वह चालू आबंटन वर्ष के शेष महीनों में विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकेगा/सकेगी। अतः, अब से ऑनलाइन आबंटन के लिए केवल दो ही स्थितियाँ होंगी, अर्थात् सक्रिय या आबंटित।

(ii) समान श्रेणी में परिवर्तन, निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में स्थानांतरण और नया आबंटन।

अब तक, एक ही श्रेणी में बदलाव के लिए, आबंटन हेतु रखे गए कुल फ्लैटों में से केवल 50% तक का चयन करना अनिवार्य था, जबकि निचली श्रेणी से उच्च श्रेणी में जाने और किसी भी श्रेणी में नए आबंटन के लिए, अंतिम तैयार फ्लैट उपलब्ध होने तक चयन करना अनिवार्य था। उपरोक्त किसी भी शर्त का पालन न करने पर उस कर्मचारी को शेष आबंटन वर्ष के लिए उस विशेष श्रेणी से हटा दिया जाता था।

अप्रैल 2026 से, पूर्ण प्राथमिकता सूची को बुलाए जाने की शुरुआत होने के साथ, किसी भी कर्मचारी के लिए उपलब्ध फ्लैटों के लिए विकल्प का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं होगा (ट्रांज़िट आवासों से अनिवार्य स्थानांतरण को छोड़कर), जिससे सभी कर्मचारियों को समान अवसर मिलेगा क्योंकि उन्हें आबंटन वर्ष के दौरान तब तक बुलाया जाएगा जब तक कि उनकी बारी आने पर और उनकी पसंद के अनुसार उन्हें फ्लैट आबंटित नहीं हो जाता।

(iii) ट्रांज़िट आवास से अनिवार्य स्थानांतरण (तैयार फ्लैट उपलब्ध होने की स्थिति में) ।

इस निदेशालय के दिनांक 18.03.2026 के परिपत्र के बिंदु संख्या 11 के अनुसार, ट्रांज़िट आवासों अर्थात् एफिशिएंसी (नीलगिरी), एफिशिएंसी प्लस – आकाश श्रृंखला (वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारियों के लिए), इंद्रायणी, भीमा, चंद्रभागा (वैज्ञानिक सहायक), चेनाब (पैरा-मेडिकल स्टाफ), ओल्ड मंडाला में आवश्यक सेवा क्वार्टर तथा ट्रांज़िट आवास, मेडिकल ट्रांज़िट हेतु प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी कोटा और कर्मचारी चुमरी में रह रहे कर्मचारियों के लिए श्रेणीबद्ध आवास का विकल्प चुनना अनिवार्य है, अन्यथा उनका मौजूदा ट्रांज़िट आवास आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।

मौजूदा प्रथा के अनुसार, यदि ट्रांज़िट आवास में रहने वाले कर्मचारी द्वारा फ्लैट का कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो तैयार फ्लैटों में से कोई एक फ्लैट यादृच्छिक रूप से उसे आबंटित किया जाता रहेगा।

(iv) मासिक आबंटन अनुसूची का प्रकाशन बंद करना ।

अब तक, एक माह में अपेक्षित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, सक्रिय प्राथमिकता क्रमांकों का विवरण देने वाली आबंटन अनुसूची प्रत्येक माह की 15 तारीख को हार्डकॉपी में प्रकाशित की जाती थी।

अप्रैल 2026 से, आबंटन अनुसूची की हार्डकॉपी का प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी विशेष सूची में सभी सक्रिय प्राथमिकता क्रमांकों को विकल्प चुनने के लिए विचार किया जाएगा। प्रचलित प्रथा के अनुसार, डीएई निवास पोर्टल अंतिम 3 कार्य दिवसों के लिए खुला रहेगा ताकि कर्मचारी अपने द्वारा चुने गए

विशेष प्रकार और स्थान के लिए विकल्प चुन सकें। आबंटन अनुसूची के प्रारंभ होने से 2 कार्य दिवस पहले, अपेक्षित रिक्तियों के आधार पर एक ऑनलाइन आबंटन अनुसूची डीएई निवास में तैयार की जाएगी।

(v) मासिक कवरेज की समाप्ति।

चूंकि कोई प्राथमिकता क्रमांक ड्रॉप नहीं किया जाएगा, इसलिए आबंटन की कोई मासिक कवरेज नहीं होगी। सभी कर्मचारी अपनी पात्रता और प्रस्तुत पसंद के स्थान के अनुसार अपना विकल्प चुन सकेंगे।

(vi) सीमित विकल्प के अंतर्गत रिकॉल को बंद करना और अनुपस्थित मामलों को स्वीकार न करना।

21.04.1999 को संघों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के अभिलेख के अनुसार, सीमित विकल्प की अवधारणा को लागू किया गया था ताकि (कुल फ्लैट के 50% आबंटन के बाद) उन कर्मचारियों को फ्लैट के आबंटन के लिए बुलाया जा सके जो छुट्टी, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, विदेश में ईओएल आदि के कारण नियमित आबंटन के लिए बुलाए जाने से चूक गए हों।

प्राथमिकता सूची को पूरी तरह से बुलाने की प्रक्रिया शुरू होने से, छुट्टी, आधिकारिक कार्यों, स्थानांतरण , प्रतिनियुक्ति, विदेश में ईओएल आदि के कारण किसी विशेष महीने में विकल्प का प्रयोग न कर पाने वाले कर्मचारी अगली आबंटन अनुसूची के लिए सक्रिय बने रहेंगे। अतः, सीमित विकल्प और अनुपस्थिति मामले की अवधारणाएँ निरर्थक हो गई हैं क्योंकि सभी कर्मचारी या तो सक्रिय होंगे या उन्हें आबंटित किया जा चुका होगा।

(vii) छह महीने पूरे होने पर उसी श्रेणी में परिवर्तन का सक्रियण।

वे कर्मचारी जिन्होंने आबंटन वर्ष 2025-2026 के दौरान फ्लैट का कब्जा लिया है और वर्तमान निवास में छह महीने पूरे नहीं हुए हैं, या वे कर्मचारी जिन्हें पिछले आबंटन वर्ष के दौरान अस्थायी रूप से फ्लैट आबंटित किया गया था और वे 2026-2027 के दौरान उक्त फ्लैट में निवास कर रहे हैं, वे परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

समान श्रेणी में परिवर्तन के लिए ऐसे अनुरोध आबंटित फ्लैट में **छह महीने के निवास की अवधि पूरी होने के महीने में ही** ईमेल/लिखित रूप से किए जा सकते हैं। बाद के महीनों में प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर, उनकी प्राथमिकता संख्या उनके संबंधित प्रकारों में निकाली जाएगी और वे कर्मचारी अपनी प्राथमिकता संख्या के अनुसार उसी श्रेणी में परिवर्तन का विकल्प चुन सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि कर्मचारी को आबंटित एक प्रकार के आवास के संबंध में केवल एक ही परिवर्तन की अनुमति होगी और ट्रांजिट आवास में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

(viii) स्थानांतरण/ईओएल/प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को शामिल करना और उनकी बारी के अनुसार फ्लैट का आबंटन करना।

इस निदेशालय के दिनांक 29.01.2013 के परिपत्र के अनुसार, स्थानांतरण पर आने वाले अधिकारियों का विवरण आबंटन वर्ष के दौरान शामिल किया जाता था और उनके शामिल होने के बाद, यदि उनकी प्राथमिकता पूरी हो गई थी (नवीनतम कवरेज स्थिति के अनुसार), तो उन्हें उपलब्ध रिक्तियों में से तैयार फ्लैटों की पेशकश की जाती थी।

पूर्ण प्राथमिकता सूची को बुलाए जाने की प्रणाली लागू होने के साथ, कर्मचारियों का नाम मासिक आबंटन अनुसूची के प्रारंभ होने से 2 कार्यदिवस पहले जोड़ा जाएगा। मासिक आबंटन अवधि (विकल्प प्रयोग के

अंतिम 3 कार्यदिवस और परिणाम तैयार करने हेतु अगले महीने के पहले दो दिन) के दौरान स्थानांतरण मामलों को नहीं जोड़ा जाएगा।

अतः, स्थानांतरण पर आने वाले कर्मचारी आबंटन के लिए अपनी बारी के अनुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और स्थानांतरण/सेवानिवृत्त सेवा समाप्ति/प्रतिनियुक्ति मामलों को ऑफ़लाइन आबंटन/सीमित विकल्प में कोई आबंटन नहीं किया जाएगा।

हालांकि, सरकारी आवास आबंटन (पऊवि), मुंबई, नियम, 1982 के नियम VI (d) और इस निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुवर्ती आदेशों के अनुसार, वे अधिकारी जिन्होंने सार्वजनिक हित में बाहरी स्टेशनों या अपात्र कार्यालय में स्थानांतरण के बाद या अवकाश पर जाने जिसमें ईओएल भी शामिल है, विदेश में कार्यभार संभालने या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई में आबंटित विभागीय आवास को सरेंडर कर दिया है, उन्हें पऊवि, मुंबई की किसी भी इकाई में पुनः तैनात किए जाने पर, उस प्रकार का फ्लैट जिसे उन्होंने सरेंडर किया है या उनकी पात्रता से कम से कम एक पायदान नीचे का फ्लैट, जो भी उच्चतर हो, आबंटित किया जाएगा ।

(ix) **जुर्माने के रूप में एक महीने का लाइसेंस शुल्क वसूला जाएगा ।**

फिलहाल कर्मचारियों पर दो प्रकार के जुर्माने लगाए जा रहे हैं।

(क) यदि कोई कर्मचारी निचली श्रेणी में रह रहा है और तैयार फ्लैट का चयन न करने के कारण उसे उच्च श्रेणी में ड्रॉप कर दिया जाता है, तो उससे उच्च श्रेणी का एक महीने का लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।

(ख) यदि किसी कर्मचारी को उसकी पसंद का फ्लैट आबंटित किया जाता है और बाद में वह उसे रद्द कर देता है, तो उस फ्लैट के लिए उससे एक महीने का लाइसेंस शुल्क वसूला जाएगा।

हर महीने पूर्ण प्राथमिकता सूची बुलाए जाने से कर्मचारियों को ड्रॉप करने जैसी कोई स्थिति नहीं होगी और इसलिए, ऊपर बिंदु (क) में उल्लिखित जुर्माना अनावश्यक हो जाएगा। इसके बजाय, सभी फ्लैट के आबंटन की संभावना बढ़ने से लाइसेंस शुल्क और मकान किराया भत्ता वसूली के रूप में अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

हालांकि, आबंटित फ्लैट को रद्द करने पर लगाया गया एक महीने के लाइसेंस शुल्क का जुर्माना प्रथा के अनुसार जारी रहेगा क्योंकि उस महीने के शेष समय के लिए फ्लैट खाली रहता है।

7. पऊवि की मुंबई स्थित सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करें और साथ ही इसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करवाएं।

8. इसे निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि

17.04.2026

(शंकर एस. गोंडाणे)
निदेशक (का.एवं प्र.) एवं संपदा अधिकारी
निसेसंप्रनि

प्रति,
पऊवि की मुंबई स्थित इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान